

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश

सतपुड़ा भवन, भोपाल पिनकोड 462004

क्रमांक 2749 वि.बै.परि./2026

दिनांक 21/08/2026

प्रति,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।

विषय: Google Form के माध्यम से चाही गई जानकारी आपके क्षेत्रान्तर्गत समस्त अशासकीय महाविद्यालयों द्वारा दर्ज किए जाने के संबंध में।

सन्दर्भ: इस कार्यालय का पत्र 2608/वि.बै.परि./2026 दिनांक 05.08.2026

--00--

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, दिनांक 15.01.2026 के माननीय Supreme Court के Judgement पर आधारित माननीय सर्वोच्च न्यायलय में Compliance affidavit दो दिवस में दर्ज किया जाना है जिसके लिए संदर्भित पत्रानुसार आवश्यक जानकारी Google प्रपत्र पर चाही गई थी। किन्तु आज दिनांक तक निजी महाविद्यालयों द्वारा दी गई जानकारी बिलकुल अस्पष्ट है एवं 50% निजी महाविद्यालयों द्वारा Google form नहीं भरा है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न सूची अनुसार अपने विश्वविद्यालयों से सम्बंधित निजी महाविद्यालयों से स्पष्ट जानकारी दर्ज कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

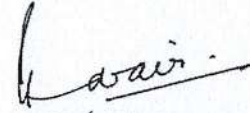
समस्त निजी महाविद्यालयों में पदों की जानकारी (कुल सेंक्शन पद, कार्यरत पद, रिक्त पद एवं रिक्त पदों हेतु की जा रही कार्यवाही) स्पष्ट रूप से दर्ज करने हेतु निर्देशित करने का अनुरोध है।

उक्त जानकारी कल सायं 4 बजे तक अनिवार्य रूप से दर्ज कराने का कष्ट करें।

संलग्न:- 1 महाविद्यालयों की सूची

2 google form की लिंक

(आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)



(डॉ. उषा के. नायर)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.

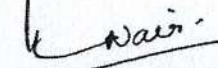
दिनांक 21/08/2026

क्रमांक 2750 वि.बै.परि./2026

प्रतिलिपि:-

1 निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, वल्लभ भवन।

2 निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन।



विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

पृ.क्र./कु.स./2026/985

जबलपुर, दिनांक 24/08/2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. समस्त प्राचार्य, सम्बद्ध निजी महाविद्यालयों की ओर इस निर्देश के साथ कि शासन के उपरोक्त निर्देशों का पालन कर जानकारी Google Form लिंक में अनिवार्यतः प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित करें।
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र., सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, जबलपुर संभाग, जबलपुर।



(डॉ. रविशंकर सोनवाल)

कुलसचिव

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर

Pending Private Colleges in Jabalpur Division – Google Form Not Yet Submitted

1	Chhindwara	Arts & Commerce College, Pandhurna
2	Chhindwara	Arts & Commerce College, Sausar
3	Chhindwara	CIMTI College, Ridhora, Sausar
4	Chhindwara	Danielson College, Chhindwara
5	Chhindwara	Eklavya College, Amarwada
6	Chhindwara	Fortune Group of Science & Technology
7	Chhindwara	Kaps Degree College of Science Management & IT College Pandhurna
8	Chhindwara	New Maharishi Vishwamitra College, Pandhurna
9	Chhindwara	Om Sai Samarth College of Commerce & Computer Science
10	Chhindwara	Orange city College, Sausar
11	Chhindwara	Universal College Pandhurna
12	Chhindwara	Veer Narayan College, Tamiya
13	Dindori	Gyaneshwari Mahavidhalaya
14	Jabalpur	AP Narmada College, Jabalpur
15	Jabalpur	Blessing Institute of Higher Education
16	Jabalpur	Cogent College of Higher Studies
17	Jabalpur	Gyan Ganga College of Excellence, Bargi Hills, Jabalpur

18	Jabalpur	Hawabagh BA & Science College, Jabalpur
19	Jabalpur	Hawabagh Women's Education, College
20	Jabalpur	HB College, Vijay Nagar, Jabalpur
21	Jabalpur	Jabalpur College of Computers and Communication
22	Jabalpur	Kesharwani College, Jabalpur
23	Jabalpur	Late Bhawani Pt. Shukla Atrs/Commerce College
24	Jabalpur	Mata Gujri Mahila Mahavidyalaya (Autonomous) College in Jabalpur
25	Jabalpur	N.E.S. Law College, Naveen Vidya Bhawan, Jabalpur
26	Jabalpur	Nawambe Arts & Commerce College, Jabalpur
27	Jabalpur	NES Science & Commerce College, Jabalpur
28	Jabalpur	Oriental Institute of Professional Studies
29	Jabalpur	Shri Gurunanak Girls College, Jabalpur
30	Jabalpur	Shri Neelkanth Law College, Baldeobagh, Jabalpur
31	Jabalpur	Shri Ram Prakash Tripathi College
32	Jabalpur	St. Aloysius College, Jabalpur (Autonomous)
33	Jabalpur	Vikramaditya College, Vijay Nagar, Jabalpur

34	Katni	Shramdam Arts & Commerce College, Kymore
35	Katni	Shri Nilwasrao Sarogi College
36	Mandla	Sant Ramanand College & Research Institute Phoolsagar
37	Narsinghpur	GyanSagar Academy College
38	Narsinghpur	M.I.M.T. College Narsinghpur
39	Narsinghpur	Newton Institute, Saikheda
40	Narsinghpur	S R T N E S College
41	Narsinghpur	Shri Vinayak College, Gadarwara
42	Narsinghpur	Shyam Sunder Narayan Mushran Institute of Management and Technology
43	Seoni	Aadarsh College, Palari
44	Seoni	Late Yashoda Bai Patel of Technology & Management
45	Seoni	Mahajan Arts Science & Commerce College
46	Seoni	Mahakaushal College of Science, Chhapra
47	Seoni	Vivekanand Girls College, Khursura

कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश
भूतल विंग (ख), सतपुड़ा भवन, भोपाल पिनकोड 462004
ई-मेल : spdntf@gmail.com (फोन नं.- 0755-2928814)

क्रमांक 2608/वि.बै.परि./2026

दिनांक 5/08/2026

प्रति,

समस्त कुलसचिव/संचालक/प्राचार्य,

समस्त शासकीय/निजी विश्वविद्यालय/ निजी महाविद्यालय

(AISHE पोर्टल पर पंजीकृत), मध्यप्रदेश।

विषय: माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.01.2026 के अनुपालन में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के निर्देशों से संबंधित जानकारी प्रेषित किए जाने बाबत।

सन्दर्भ:- इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 451/वि.बै.परि./2026 दिनांक 06.02.2026

--00--

उपरोक्त संदर्भित पत्र अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.03.2025 एवं राष्ट्रीय कार्यबल के निर्देशों के अनुपालन में विद्यार्थियों में बढ़ती आत्महत्या की प्रवृत्ति की रोकथाम एवं मानसिक स्वास्थ्य के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 451/वि.बै.परि./2026 दिनांक 06.02.2026 के द्वारा AISHE अंतर्गत प्रदेश के समस्त उच्च शिक्षण संस्थानों निम्नानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था:

I. आत्महत्या से संबंधित डेटा प्रबंधन

- छात्रों में आत्महत्या (विशेषकर 15-29 वर्ष आयु वर्ग) से संबंधित केन्द्रीयकृत एवं सटीक डेटा संधारित किया जाए।
- लोक स्वास्थ्य एवं डेटा विशेषज्ञों के सहयोग से उपयुक्त डेटा प्रणाली विकसित की जाए।

II. संकाय पदों की पूर्ति

- सभी शिक्षण एवं अशिक्षण पदों की रिक्तियाँ 4 माह की अवधि के भीतर अनिवार्य रूप से भरी जाएँ।
- आरक्षित पदों, विशेषकर दिव्यांगजन (PwDs) के लिए आरक्षित पदों को प्राथमिकता दी जाए; आवश्यकता होने पर विशेष भर्ती अभियान चलाए जाएँ।

III. आपातकालीन चिकित्सीय सहायता

- आवासीय उच्च शिक्षण संस्थानों में 24x7 चिकित्सीय सहायता की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
- यदि चिकित्सा सुविधा परिसर में उपलब्ध नहीं है, तो वह आपातकाल की स्थिति में 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर उपलब्ध होनी चाहिए।

IV. नेतृत्व पदों की पूर्ति

- कुलपति, कुलसचिव (Registrar) आदि जैसे प्रमुख प्रशासनिक पद 4 माह के भीतर भरे जाएँ।
- आदर्श स्थिति में, किसी भी पद की रिक्ति 1 माह से अधिक न रहे।
- उच्च शिक्षण संस्थानों को रिक्त पदों से संबंधित जानकारी वार्षिक रूप से शासन को प्रस्तुत करनी होगी।

V. छात्रवृत्ति वितरण

- सभी लंबित (बैकलॉग) छात्रवृत्तियों का 4 माह के भीतर निपटान किया जाए।
- विलंब की स्थिति में, कारणों सहित छात्रों एवं संस्थानों को सूचित करना अनिवार्य होगा।
- छात्रवृत्ति में विलंब के कारण छात्रों को परीक्षा, छात्रावास, कक्षाओं में उपस्थिति या डिग्री प्रदान करने से वंचित नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त बिंदुओं के अनुपालन में आपके अधीनस्थ उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी Google Form के माध्यम से दिनांक 07.08.2026 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध है।

(गूगल फॉर्म की लिंक संलग्न)

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)



(डॉ. उषा के नायर)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.

दिनांक 5/08/2026

क्रमांक 2609 / वि. वै.परि /2026

प्रतिलिपि:-

1 अपर निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,

2 निज सहायक, आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश।



विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRQTdD2x2WGff-UitB0kgWiR1MWklbLhb6uERJLIjUEbuqjA/viewform?usp=header>

link for google form

<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRQTdD2x2WGff-UitB0kgWiR1MWkIbLhb6uERJLijUEbuqjA/viewform>